संख्या 771/उन्तीस(2)/16-2(28पे0)/2016

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग -2 देहरादून : दिनांक 06 जुलाई, 2016

विषय :— जनपद नैनीताल के रामनगर हेतु कोसी नदी में प्रदूषण नियंत्रण (प्रथम चरण) के निर्माण सम्बन्धित कार्यो हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 638/अप्रै0 टी0ए0सी0/238 दिनांक 07.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायालय द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 को दिये गये निर्णय के अनुपालन में रामनगर शहर से कोसी नदी में हो रहें प्रदूषण को रोके जाने हेतु, जिसमें सीवेज शोधन संयत्र, बायोडाईजस्टर एवं सामूहित सैप्टिक टैंक द्वारा सीवेज को इकट्ठा कर शोधित किये जाने एवं कोसी नदी में प्रदूषण नियंत्रण के निर्माण सम्बन्धित कार्यो हेतु कुल ₹ 147.53 लाख (₹ एक करोड़ सैंतालीस लाख त्रैपन हजार मात्र) औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016—17 में लेखानुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से ₹ 60.00 लाख (₹ साठ लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :—

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम यह सुनिश्चित करें कि भारत सरकार को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों में, स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित हो।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(v) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(vi) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

Scanned by CamScanner

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगम नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में लेखानुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– 01– जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण (के0स0)–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1607130270 दिनांक 06.07.2016 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 304/XXVII(2)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,
(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 772 (1)/उन्तीस(2)/16–2(28पे0)/2016 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।

प्रधान कार्या0 : उ0 पे0 नि0 देहरादून

प0 सं0 1037 /नियो0 अनु0–प0/302 दि0 14/07/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य अभि0 (कु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम नैनीताल

(2) अधी0 अभि0, [illegible] नैनीताल

(3) अधिशासी अभि0 [illegible]

[illegible] (II/2)

Scanned by CamScanner